



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272557  
CG-DL-E-14052026-272557

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 329]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

सं. 2/2026 – संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 363(अ).— केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 15, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 96 और माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 14/2018- संघ राज्य क्षेत्र कर सा.का.नि. 1004 (अ)., तारीख 8 अक्टूबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्र.सं. 2 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(i) श्री गौरव कुमार जैन, अपर आयुक्त, सीजीएसटी, चण्डीगढ़;

- (ii) श्री प्रद्युम्न सिंह, अपर उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त तथा उपायुक्त- सह-कलक्टर (उत्पाद-शुल्क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़।”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/2/2026-एसटी-1-डीओआर]

मुथुरामन सी., अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1004(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 01/2026-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 6 मार्च 2026, संख्यांक सा.का.नि. 159(अ) तारीख 6 मार्च, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

**No. 2/2026 - Union Territory Tax**

**G.S.R. 363(E).**— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), section 96 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and rule 103 of the Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 14/2018-Union territory Tax, *vide* G.S.R. 1004 (E), dated the 8<sup>th</sup> October 2018, namely:

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 2, for the entries in column (3) the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) Shri Gaurav Kumar Jain, Additional Commissioner, CGST Chandigarh;

(ii) Shri Pradhuman Singh, Additional Excise and Taxation Commissioner and Deputy Commissioner-cum-Collector (Excise), Union territory of Chandigarh.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-31011/2/2026-ST-1-DoR]

MUTHURAMAN C., Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1004(E), dated the 8th October, 2018 and amended, *vide* notification.